20-6-2016

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार के तहत निम्न पक्षों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी होने के बाद पंचायत भवन राजस्व लोक अदालत में केन्द्र ग्राम पंचायतों पर पेश हुए। वादी नं 5 व प्रतिवादी नं 1 का पुत्र घनश्याम व प्रतिवादी नं 4 उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया। वादीगण की अंतिम नामांतरकरण स्वीकृत कर तहसीलदार सलेमपुर को खिरसम की विस्तृत जांच कर नामांतरकरण तहसील करने के आदेश दिये जा चुके हैं। अतः वाद के चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद खारिज किया जाता है पंचायत की फैसला शुमार होकर पक्षकार के कब्जे तथा दखल काबिज हो।

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner